जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

आदेश क्रमांक प.5(35)अधिवक्ता / जविप्रा / विधि / डी 7537 दिनांक 14.11.2025

—:आदेश:—

समस्त माननीय सिविल न्यायालयो, जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से संबंधित न्यायिक प्रकरणो मे प्रतिरक्षण / पैरवी अधिवक्ता नियुक्ति हेतु पूर्व में जारी समस्त आदेशो को अधिक्रमित / निरस्त करते हुये जविप्रा के आदेश क्रमांक प.5(35) जविप्रा / विधि / डी–3648 दिनांक 18.05.2022 में वर्णित फीस एवं निर्धारित शर्तो के अधीन निम्न अधिवक्ताओ को जविप्रा की ओर से प्रतिरक्षण / पैरवी हेतु स्थाई अधिवक्ता नियुक्त किया जाता है।

क्र.	अधिवक्ता का नाम	इनरोलमेंट नं.
1	श्री सतीश कुमार शर्मा	R–848 / 1999
2	श्री गणेश सारस्वत	R–1107 / 1999
3	श्री राकेश संचेती	R–4935 / 2010
4	श्री नेमीचंद शर्मा जैमन	R-1450 / 2002
5	श्री सुरेश कुमार	R–1152 / 1999

1. जविप्रा के स्थाई अधिवक्ताओं को उक्तानुसार देय फीस राशि व खर्चो की राशि के अतिरिक्त अन्य कोई राशि देय नही होगी।
2. उपरोक्त दरों से फीस राशि के भुगतान की स्वीकृति निदेशक (विधि) द्वारा जारी की जा कर भुगतान हेतु लेखा शाखा को भिजवाया जायेगा तथा प्रकरणों में खर्चो के बिलों की स्वीकृति संबंधित प्रभारी अधिकारी द्वारा जारी की जा कर लेखा शाखा को भुगतान हेतु भिजवाई जायेगी।
3. प्रकरणों हेतु निर्धारित की गई उक्त फीस राशि की आधी राशि प्रकरण में यदि जविप्रा प्रतिवादी है तो जवाब प्रस्तुत होने के उपरान्त ओर यदि जविप्रा वादी है को वाद / रिट / अपील प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त जवाब / वाद / रिट / अपील की प्रति विधि प्रकोष्ठ को उपलब्ध करवाये जाने के उपरान्त व शेष आधी राशि का भुगतान प्रकरण के निर्णय होने पर निर्णय की प्रति विधि प्रकोष्ठ को उपलब्ध करवाये जाने पर देय होगी।
4. स्थाई अधिवक्ताओं को पुराने आवंटित प्रकरणों में, जिनमें जवाब पेश हो गया है आधी फीस राशि देय होगी अन्यथा उपरोक्तानुसार फीस राशि देय होगी। यदि किसी स्थाई अधिवक्ता को जविप्रा की ओर से पैनल से हटा दिया जाता है तो उसे लम्बित प्रकरण जिसमें निर्णय पारित नही हुआ है, आधी फीस राशि का भुगतान किया जायेंगा।
5. ऐसे प्रकरण जो अदम पैरवी, अदम हाजरी या वादी द्वारा विड्रॉ किये जाने पर या नोट प्रेस में खारिज किये गये है अथवा राजीनामें के आधार पर निस्तारित किये गये है या अर्थहीन (Infructuous) हो गये हैं तथा उनमें जविप्रा की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसे प्रकरणों में पैरवी हेतु उक्तानुसार नियत फीस की आधी फीस राशि ही देय होगी।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{+91-141- } : ईपीबीएक्स- +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {7235}: फैक्स- +91-141-2574555

6. जविप्रा के स्थाई अधिवक्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि ये न्यायिक प्रकरणों से संबंध में जविप्रा / प्रभारी अधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट / दस्तावेजात प्राप्त हो जाने के उपरान्त अधिकतम सात दिवस की अवधि में जवाब तैयार कर संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करवायेंगे।
7. न्यायिक प्रकरण के संबंधित न्यायालय द्वारा निर्णित कर दिये जाने पर स्थाई अधिवक्ता द्वारा निर्णय की प्रति अपनी राय सहित अधिकतम 10 दिवस में जविप्रा को उपलब्ध करवाई जायेगी अन्यथा प्रकरण में बकाया फीस राशि की आधी राशि का भुगतान ही किया जायेगा।
8. जविप्रा के स्थाई अधिवक्तागण जविप्रा के विरूद्ध किसी भी प्रकरण में पैरवी हेतु किसी भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकेंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(नरेन्द्र कुमार आर्य)
निदेशक (विधि)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ठ सहायक माननीय मंत्री नगरीय विकास एवं आवासन, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा जयपुर।
4. निजी सचिव उप महानिरक्षक पुलिस, जविप्रा, जयपुर।
5. मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन, जविप्रा जयपुर।
6. निदेशक (आयोजना / अभियांत्रिकी / वित्त), जविप्रा जयपुर।
7. अति. आयुक्त (प्रशासन / पूर्व / पश्चिम / एलपीसी) जविप्रा जयपुर।
8. निजी सचिव, निदेशक विधि, जविप्रा जयपुर।
9. समस्त प्रभारी अधिकारीगण.., जविप्रा जयपुर।
10. लेखाधिकारी भुगतान, जविप्रा जयपुर।
11. संयुक्त निदेशक / उपनिदेशक विधि, / सहायक विधि परामर्शी / कनिष्ठ विधि अधिकारीगण, जविप्रा जयपुर।
12. संबंधित स्थाई अधिवक्ता श्री ....
13. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (विधि)
जविप्रा, जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{+91-141- } : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {7235}: फैक्स- +91-141-2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

आदेश क्रमांक प.5(35)अधिवक्ता/जविप्रा/विधि/डी 7538 दिनांक 14.11.2025

—:आदेश:—

समस्त माननीय सिविल न्यायालयो, जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से संबंधित न्यायिक प्रकरणो मे प्रतिरक्षण/पैरवी अधिवक्ता नियुक्ति हेतु पूर्व में जारी समस्त आदेशो को अधिक्रमित/निरस्त करते हुये जविप्रा के आदेश क्रमांक प.5(35) जविप्रा/विधि/डी–3648 दिनांक 18.05.2022 में वर्णित फीस एवं निर्धारित शर्तो के अधीन निम्न अधिवक्ताओ को जविप्रा की ओर से प्रतिरक्षण एवं प्रभावी पैरवी हेतु पैनल अधिवक्ता नियुक्त किया जाता है।

क्र.	अधिवक्ता का नाम	इनरोलमेंट नं.
1	एड. योगिता वर्मा	R–2502/2008
2.	श्री निखिल सोनी	R–1091/2018
3.	श्री धीरज चांदराणा	R–227/1995
4.	एड. रीना धाभाई	R–622/2006
5.	श्री भागचन्द्र कुमावत	R–1203/2013
6.	श्री राजाराम जांगिड़	R–1457/2015
7.	श्री अशोक शर्मा	R–1776/2010
8.	श्री विष्णु पारीक	R–118/1999
9.	श्री भागचन्द्र भारद्वाज	R–2141/2001
10.	एड. किरण चौधरी	R–3563/2017
11.	श्री राजेश गुप्ता	R–450/2003
12.	श्री केशव मिश्रा	R–1905/2019
13.	श्री रवि तिवाड़ी	R–4007/2018
14.	श्री प्रशान्त शर्मा	R–3150/2007
15.	श्री मनोहर चंचलानी	R–533/1996
16.	श्री खेमचंद शर्मा	R–2499/2009
17.	श्री प्रेम चंद देवंदा	R–2883/2005

1. जविप्रा के पैनल अधिवक्ताओं को उक्तानुसार देय फीस राशि व खर्चो की राशि के अतिरिक्त अन्य कोई राशि देय नही होगी।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{+91-141- } : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {7235}; फैक्स- +91-141-2574555

2. उपरोक्त दरों से फीस राशि के भुगतान की स्वीकृति निदेशक (विधि) द्वारा जारी की जा कर भुगतान हेतु लेखा शाखा को भिजवाया जायेगा तथा प्रकरणों में खर्चों के बिलों की स्वीकृति संबंधित प्रभारी अधिकारी द्वारा जारी की जा कर लेखा शाखा को भुगतान हेतु निजवाई जायेगी।
3. प्रकरणों हेतु निर्धारित की गई उक्त फीस राशि की आधी राशि प्रकरण में यदि जविप्रा प्रतिवादी है तो जवाब प्रस्तुत होने के उपरान्त ओर यदि जविप्रा वादी है को वाद/रिट/अपील प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त जवाब/वाद/रिट/अपील की प्रति विधि प्रकोष्ठ को उपलब्ध करवाये जाने के उपरान्त व शेष आधी राशि का भुगतान प्रकरण के निर्णय होने पर निर्णय की प्रति विधि प्रकोष्ठ को उपलब्ध करवाये जाने पर देय होगी।
4. पैनल अधिवक्ताओं को पुराने आवंटित प्रकरणों में, जिनमें जवाब पेश हो गया है आधी फीस राशि देय होगी अन्यथा उपरोक्तानुसार फीस राशि देय होगी। यदि किसी पैनल अधिवक्ता को जविप्रा की ओर से पैनल से हटा दिया जाता है तो उसे लम्बित प्रकरण जिसमें निर्णय पारित नही हुआ. है, आधी फीस राशि का भुगतान किया जायेंगा।
5. ऐसे प्रकरण जो अदम पैरवी, अदम हाजरी या वादी द्वारा विड्रॉ किये जाने पर या नोट प्रेस में खारिज किये गये है अथवा राजीनामें के आधार पर निस्तारित किये गये है या अर्थहीन (Infructuous) हो गये हैं तथा उनमें जविप्रा की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसे प्रकरणों में पैरवी हेतु उक्तानुसार नियत फीस की आधी फीस राशि ही देय होगी।
6. जविप्रा के पैनल अधिवक्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि ये न्यायिक प्रकरणों से संबंध में जविप्रा/प्रभारी अधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट / दस्तावेजात प्राप्त हो जाने के उपरान्त अधिकतम सात दिवस की अवधि में जवाब तैयार कर संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करवायेंगें।
7. न्यायिक प्रकरण के संबंधित न्यायालय द्वारा निर्णित कर दिये जाने पर पैनल अधिवक्ता द्वारा निर्णय की प्रति अपनी राय सहित अधिकतम 10 दिवस में जविप्रा को उपलब्ध करवाई जायेगी अन्यथा प्रकरण में बकाया फीस राशि की आधी राशि का भुगतान ही किया जायेगा।
8. जविप्रा के पैनल अधिवक्तागण जविप्रा के विरूद्ध किसी भी प्रकरण में पैरवी हेतु किसी भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकेंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(नरेन्द्र कुमार ...)
निदेशक (विधि)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री नगरीय विकास एवं आवासन, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा जयपुर।
4. निजी सचिव उप महानिरीक्षक, जविप्रा, जयपुर।
5. मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन, जविप्रा जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

6. निदेशक (आयोजना/अभियांत्रिकी/वित्त), जविप्रा जयपुर।
7. अति. आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/एलपीसी) जविप्रा जयपुर।
8. निजी सचिव, निदेशक विधि, जविप्रा जयपुर।
9. समस्त प्रभारी अधिकारीगण.., जविप्रा जयपुर।
10. लेखाधिकारी भुगतान, जविप्रा जयपुर।
11. संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक विधि/सहायक विधि परामर्शी/कनिष्ठ विधि अधिकारीगण जविप्रा जयपुर।
12. संबंधित पैनल अधिवक्ता श्री ....
13. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (विधि)
जविप्रा, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{+91-141- } : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {7235}: फैक्स- +91-141-2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

आदेश क्रमांक प.5(35)अधिवक्ता/जविप्रा/विधि/डी 7539 दिनांक 14.11.2025

—:आदेश:—

माननीय राजस्व न्यायालय, जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से संबंधित न्यायिक प्रकरणो मे प्रतिरक्षण/पैरवी अधिवक्ता नियुक्ति हेतु पूर्व में जारी समस्त आदेशो को अधिक्रमित करते हुये जविप्रा के आदेश क्रमांक प.5(35) जविप्रा/विधि/डी–3648 दिनांक 18.05.2022 में वर्णित फीस एवं निर्धारित शर्तो के अधीन निम्न अधिवक्ताओ को जविप्रा की ओर से प्रतिरक्षण एवं प्रभावी पैरवी हेतु स्थाई अधिवक्ता नियुक्त किया जाता है।

क्र.	अधिवक्ता का नाम	इनरोलमेंट नं.
1	श्री अवधेश कुमार शर्मा	R–1852/2005

1. जविप्रा के स्थाई अधिवक्ताओं को उक्तानुसार देय फीय राशि व खर्चो की राशि के अतिरिक्त अन्य कोई राशि देय नही होगी।
2. उपरोक्त दरों से फीस राशि के भुगतान की स्वीकृति निदेशक (विधि) द्वारा जारी की जा कर भुगतान हेतु लेखा शाखा को भिजवाया जायेगा तथा प्रकरणों में खर्चों के बिलों की स्वीकृति संबंधित प्रभारी अधिकारी द्वारा जारी की जा कर लेखा शाखा को भुगतान हेतु निजवाई जायेगी।
3. प्रकरणों हेतु निर्धारित की गई उक्त फीस राशि की आधी राशि प्रकरण में यदि जविप्रा प्रतिवादी है तो जवाब प्रस्तुत होने के उपरान्त ओर यदि जविप्रा वादी है को वाद/रिट/अपील प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त जवाब/वाद/रिट/अपील की प्रति विधि प्रकोष्ठ को उपलब्ध करवाये जाने के उपरान्त व शेष आधी राशि का भुगतान प्रकरण के निर्णय होने पर निर्णय की प्रति विधि प्रकोष्ठ को उपलब्ध करवाये जाने पर देय होगी।
4. स्थाई अधिवक्ताओं को पुराने आवंटित प्रकरणों में, जिनमें जवाब पेश हो गया है आधी फीस राशि देय होगी अन्यथा उपरोक्तानुसार फीस राशि देय होगी। यदि किसी स्थाई अधिवक्ता को जविप्रा की ओर से पैनल से हटा दिया जाता है तो उसे लम्बित प्रकरण जिसमें निर्णय पारित नहीं हुआ. है, आधी फीस राशि का भुगतान किया जायेंगा।
5. ऐसे प्रकरण जो अदम पैरवी, अदम हाजरी या वादी द्वारा विड्रॉ किये जाने पर या नोट प्रेस में खारिज किये गये है अथवा राजीनामें के आधार पर निस्तारित किये गये है या अर्थहीन (Infructuous) हो गये हैं तथा उनमें जविप्रा की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसे प्रकरणों में पैरवी हेतु उक्तानुसार नियत फीस की आधी फीस राशि ही देय होगी।
6. जविप्रा के स्थाई अधिवक्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि ये न्यायिक प्रकरणों से संबंध में जविप्रा/प्रभारी अधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट / दस्तावेजात प्राप्त हो जाने के उपरान्त अधिकतम सात दिवस की अवधि में जवाब तैयार कर संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करवायेंगे।
7. न्यायिक प्रकरण के संबंधित न्यायालय द्वारा निर्णित कर दिये जाने पर स्थाई अधिवक्ता द्वारा निर्णय की प्रति अपनी राय सहित अधिकतम 10 दिवस में जविप्रा को उपलब्ध करवाई जायेगी अन्यथा प्रकरण में बकाया फीस राशि की आधी राशि का भुगतान ही किया जायेगा।

8. जविप्रा के स्थाई अधिवक्तागण जविप्रा के विरूद्ध किसी भी प्रकरण में पैरवी हेतु किसी भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकेंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(नरेन्द्र कुमार आर्य)
निदेशक (विधि)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री नगरीय विकास एवं आवासन, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा जयपुर।
4. निजी सचिव उप महानिरीक्षक पुलिस, जविप्रा, जयपुर।
5. मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन, जविप्रा जयपुर।
6. निदेशक (आयोजना/अभियांत्रिकी/वित्त), जविप्रा जयपुर।
7. अति. आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/एलपीसी) जविप्रा जयपुर।
8. निजी सचिव, निदेशक विधि, जविप्रा जयपुर।
9. समस्त प्रभारी अधिकारीगण.., जविप्रा जयपुर।
10. लेखाधिकारी भुगतान, जविप्रा जयपुर।
11. संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक विधि, जविप्रा जयपुर।
12. संबंधित स्थाई अधिवक्ता श्री ....
13. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (विधि)
जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

आदेश क्रमांक प.5(35)अधिवक्ता/जविप्रा/विधि/डी-7540 दिनांक 14.11.2025

–:आदेश:–

समस्त माननीय राजस्व न्यायालयो, जिला जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से संबंधित न्यायिक प्रकरणो मे प्रतिरक्षण/पैरवी अधिवक्ता नियुक्ति हेतु पूर्व में जारी समस्त आदेशो को अधिक्रमित/निरस्त करते हुये जविप्रा के आदेश क्रमांक प.5(35) जविप्रा/विधि/डी–3648 दिनांक 18.05.2022 में वर्णित फीस एवं निर्धारित शर्तो के अधीन निम्न अधिवक्ताओ को जविप्रा की ओर से प्रतिरक्षण एवं प्रभावी पैरवी हेतु पैनल अधिवक्ता नियुक्त किया जाता है।

क्र.	अधिवक्ता का नाम	इनरोलमेंट नं.
1.	श्री सुभाष सैनी (आमेर)	R–2129/2015
2.	श्री गुलाब चंद्र रैगर, आमेर	R–718/04
3.	श्री हरिओम चौधरी, सांगानेर	R–4766/2019
4.	श्री श्रवण लाल शर्मा, चाकसू	R–2492/2008
5.	श्री भागीरथ सिंह, सांगानेर	R–1942/2012
6.	श्री ऋषभ जैन, चाकसू	R–3993/2019
7.	एड. विकास शर्मा, बस्सी	R–4851/2019
8.	श्री शशांक चतुर्वेदी, जमवारामगढ़	R–1270/2019
9.	श्री सत्यनारायण माहेश्वरी, जमवारामगढ़	R–1685/2001
10.	श्री देव खंगारोत, दूदू	R–5476/2022
11.	श्री लक्ष्मण सिंह, सांभर	R–301/1996
12.	श्री शिवराज सिंह नाथावत	R–946/2007
13.	श्री पुष्पेंद्र सिंह पथिक, जयपुर	R–112/2019
14.	श्री हितेश भट्ट, जयपुर	R–2103/2015
15.	श्री अनिरूद्ध शर्मा, जयपुर	R–3025/2018
16.	श्री अमन झंवर (रेवेन्यू बोर्ड अजमेर)	R–2801/2017
17.	श्री अभिषेक कौशिक (रेवेन्यू बोर्ड अजमेर)	R–1226/2002
18.	श्री घनश्याम सिंह चौहान (रेवेन्यू बोर्ड अजमेर)	R–3832/2019
19.	श्री नवीन निठारवाल	R–6513/2022

1. जविप्रा के पैनल अधिवक्ताओं को उक्तानुसार देय फीय राशि व खर्चो की राशि के अतिरिक्त अन्य कोई राशि देय नही होगी।
2. उपरोक्त दरों से फीस राशि के भुगतान की स्वीकृति निदेशक (विधि) द्वारा जारी की जा कर भुगतान हेतु लेखा शाखा को भिजवाया जायेगा तथा प्रकरणों में खर्चों के बिलों की स्वीकृति संबंधित प्रभारी अधिकारी द्वारा जारी की जा कर लेखा शाखा को भुगतान हेतु निजवाई जायेगी।
3. प्रकरणों हेतु निर्धारित की गई उक्त फीस राशि की आधी राशि प्रकरण में यदि जविप्रा प्रतिवादी है तो जवाब प्रस्तुत होने के उपरान्त ओर यदि जविप्रा वादी है को वाद/रिट/अपील प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त जवाब/वाद/रिट/अपील की प्रति विधि प्रकोष्ठ को उपलब्ध करवाये जाने के उपरान्त व शेष आधी राशि का भुगतान प्रकरण के निर्णय होने पर निर्णय की प्रति विधि प्रकोष्ठ को उपलब्ध करवाये जाने पर देय होगी।
4. पैनल अधिवक्ताओं को पुराने आवंटित प्रकरणों में, जिनमें जवाब पेश हो गया है आधी फीस राशि देय होगी अन्यथा उपरोक्तानुसार फीस राशि देय होगी। यदि किसी पैनल अधिवक्ता को जविप्रा की ओर से पैनल से हटा दिया जाता है तो उसे लम्बित प्रकरण जिसमें निर्णय पारित नही हुआ. है, आधी फीस राशि का भुगतान किया जायेंगा।
5. ऐसे प्रकरण जो अदम पैरवी, अदम हाजरी या वादी द्वारा विड्रॉ किये जाने पर या नोट प्रेस्त में खारिज किये गये है अथवा राजीनामें के आधार पर निस्तारित किये गये है या अर्थहीन (Infructuous) हो गये हैं तथा उनमें जविप्रां की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसे प्रकरणों में पैरवी हेतु उक्तानुसार नियत फीस की आधी फीस राशि ही देय होगी।
6. जविप्रा के पैनल अधिवक्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि ये न्यायिक प्रकरणों से संबंध में जविप्रा/प्रभारी अधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट / दस्तावेजात प्राप्त हो जाने के उपरान्त अधिकतम सात दिवस की अवधि में जवाब तैयार कर संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करवायेंगे।
7. न्यायिक प्रकरण के संबंधित न्यायालय द्वारा निर्णित कर दिये जाने पर पैनल अधिवक्ता द्वारा निर्णय की प्रति अपनी राय सहित अधिकतम 10 दिवस में जविप्रा को उपलब्ध करवाई जायेगी अन्यथा प्रकरण में बकाया फीस राशि की आधी राशि का भुगतान ही किया जायेगा।
8. जविप्रा के पैनल अधिवक्तागण जविप्रा के विरूद्ध किसी भी प्रकरण में पैरवी हेतु किसी भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकेंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(नरेन्द्र कुमार आर्य)
निदेशक (विधि)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री नगरीय विकास एवं आवासन, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा जयपुर।
4. निजी सचिव उप महानिरीक्षक, जविप्रा, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

5. मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन, जविप्रा जयपुर।
6. निदेशक (आयोजना/अभियांत्रिकी/वित्त), जविप्रा जयपुर।
7. अति. आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/एलपीसी) जविप्रा जयपुर।
8. निजी सचिव, निदेशक विधि, जविप्रा जयपुर।
9. समस्त प्रभारी अधिकारीगण.., जविप्रा जयपुर।
10. लेखाधिकारी भुगतान, जविप्रा जयपुर।
11. संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक विधि/सहायक विधि परामर्शी/कनिष्ठ विधि अधिकारीगण जविप्रा जयपुर।
12. संबंधित पैनल अधिवक्ता श्री ....
13. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (विधि)
जविप्रा, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{+91-141- } : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {7235}: फैक्स- +91-141-2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

आदेश क्रमांक प.5(35)अधिवक्ता/जविप्रा/विधि/डी 7541 दिनांक 14.11.2025

–:आदेश:–

माननीय अपीलीय अधिकरण, जविप्रा, जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से संबंधित न्यायिक प्रकरणो मे प्रतिरक्षण/पैरवी अधिवक्ता नियुक्ति हेतु पूर्व में जारी समस्त आदेशो को अधिक्रमित/निरस्त करते हुये जविप्रा के आदेश क्रमांक प.5(35) जविप्रा/विधि/डी–3627 दिनांक 18.05.2022 में वर्णित फीस एवं निर्धारित शर्तो के अधीन निम्न अधिवक्ताओ को जविप्रा के हितो की सुरक्षा एवं प्रभावी पैरवी हेतु स्थाई अधिवक्ता नियुक्त किया जाता है।

क्र.	अधिवक्ता का नाम	इनरोलमेंट नं.
1.	श्री अशोक सिंह शेखावत	R–1984/2002
2.	श्री युधिष्ठिर सहारण	R–912/2022
3.	श्री प्रहलाद रावत	R–2895/2002
4.	श्री बृजेश शर्मा	R–229/1996
5.	श्री नरेंद्र सिंह शेखावत	R–2842/2004
6.	श्री अशोक शर्मा	R–51/2012
7.	श्री सक्षम दासोत	M/1561/2017
8.	श्री आलोक आत्रेय	R–1907/2013
9.	श्री मनोज दीक्षित	R–83/2013
10.	श्री श्याम सुंदर चावला	R–1402/2002

1. जविप्रा अपीलीय अधिकारण में जविप्रा की और से पैरवी हेतु नियुक्त अधिवक्ताओं को जविप्रा के स्टेण्डिग काउन्सिल/स्थाई अधिवक्ता के रूप में जाना जायेगा जविप्रा अपीलीय अधिकरण में जविप्रा की और से नियुक्त स्टैण्डिग कॉउन्सिल/स्थायी अधिवक्ताओं को पारिश्रमिक/मानदेय राशि 31000/–प्रतिमाह देय होगी।
2. स्टेण्डिग कॉन्सिल/स्थायी अधिवक्ताओं को उक्त मानदेय राशि के अतिरिक्त 1500/–प्रति प्रकरण न्यायिक खर्चो के रूप में देय होंगे, जिनमे सभी प्रकार के खर्चे सम्मलित होंगे इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का कोई खर्चा देय नहीं होगा।
3. न्यायिक खर्चो हेतु प्रति प्रकरण देय खर्चे में प्रकरण के टी.आई. का खर्चा भी सम्मलित है. टीआई के लिये कोई अलग से कोई खर्चा देय नही होगा।
4. प्रकरण में नियुक्त प्रभारी अधिकारी/संबंधित जोन/प्रकोष्ठ से प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं आवश्यक दस्तावेजात स्टैण्डिग कॉउन्सिल की प्राप्त हो जाने के बाद तीन कार्य दिवसो में प्रकरण का जवाब तैयार कर संबंधित स्टेण्डिग कॉउन्सिल द्वारा आवश्यक रूप से न्यायालय जविप्रा अपीलीय अधिकरण में प्रस्तुत करवाया जाना होगा।
5. प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त जवाब की प्रति प्रभारी अधिकारी को एवं विधि प्रकोष्ठ को उपलब्ज करवाये जाने के उपरान्त प्रकरण से खर्चे के बिल की स्वीकृति सबंधित प्रभारी अधिकारी द्वारा जारी किये पर भुगतान हेतु लेखा शाखा को भिजवाई जायेगी।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{+91-141- } : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {7235}: फैक्स- +91-141-2574555

6. प्रकरण में न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किये जाने के उपरान्त निर्णय की प्रति संबंधित स्टेण्डिग कॉउन्सिल द्वारा अपनी राय के साथ अधिकतम सांत कार्य दिवसों में आवश्यक रूप से विधि प्रकोष्ठ जविप्रा को भिजवाई जानी होगी। निर्णय पर दी गई राय के लिये पृथक से कोई फीस देय नहीं होगी।
7. जविप्रा अपीलीय अधिकरण में नियुक्त सभी स्टेण्डिग कॉउन्सिल/स्थायी अधिवक्ताओं से अपेक्षा की जाती है की वे प्रतिदिन न्यायालय में लगे प्रकरणों की कार्यवाही रिपोर्ट/जानकारी विधि प्रकोष्ठ को देंगे।
8. स्टेण्डिग कॉउन्सिल/स्थायी अधिवक्ताओं को विशेष परिस्थितियों के अतिरिक्त पृथक से सहायक अधिवक्ता की सेवा उपलब्ध नहीं होगी।
9. जविप्रा की और से नियुक्ज स्टेण्डिग कॉउन्सिल/स्थायी अधिवक्ता जविप्रा के विरुद्ध किसी प्रकरण में पैरवी हेतु किसी भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकेंगे।
10. उक्त शर्तों की अनुपालना नहीं किये जाने पर संबंधित स्टैण्डिग कॉउन्सिल/स्थायी अधिवक्ता के विरुद्ध जविप्रा द्वारा कार्यवाही की जा सकेगी, जिसमें शर्तो के लगातर उल्लंघन पर जविप्रा के स्टेण्डिग कॉउन्सिल/ स्थायी अधिवक्ता की सेवाओ को पृथक किया जाना भी सम्मिलित होगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(नरेन्द्र कुमार शर्मा)
निदेशक (विधि)
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मा0 सदस्य अपीलीय अधिकरण, जविप्रा, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री नगरीय विकास एवं आवासन, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा जयपुर।
4. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा जयपुर।
5. निजी सचिव, उप महानिरीक्षक, जविप्रा, जयपुर।
6. मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन, जविप्रा जयपुर।
7. निदेशक (आयोजना/अभियांत्रिकी/वित्त), जविप्रा जयपुर।
8. अति. आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/एलपीसी) जविप्रा जयपुर।
9. निजी सचिव, निदेशक विधि, जविप्रा जयपुर।
10. समस्त प्रभारी अधिकारीगण.., जविप्रा जयपुर।
11. लेखाधिकारी भुगतान, जविप्रा जयपुर।
12. संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक विधि/सहायक विधि परामर्शी/कनिष्ठ विधि अधिकारीगण जविप्रा जयपुर।
13. संबंधित स्थाई अधिवक्ता श्री ....
14. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (विधि)
जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

आदेश क्रमांक प.5(35)अधिवक्ता/जविप्रा/विधि/डी 7544 दिनांक 14.11.2025

—:आदेश:—

माननीय सूचना आयोग, जयपुर, मे जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से प्रतिरक्षण/पैरवी हेतु पूर्व मे जारी समस्त अधिवक्ता नियुक्ति आदेशो को अधिक्रमित/निरस्त करते हुये जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के आदेश क्रमांक प.5(35)जविप्रा/विधि/अभि.नियु./पार्ट/तृतीय/डी दिनांक 03.04.2025 के अनुसार निर्धारित फीस व खर्चे पर निम्नानुसार जविप्रा की ओर से प्रतिरक्षण एवं प्रभावी पैरवी हेतु स्थाई अधिवक्ता नियुक्त किया जाता है।

क्र.	अधिवक्ता का नाम	इनरोलमेंट नं.
1	श्री संतोष जैमन	R–2058/2005
2	एड. प्रेरणा सारस्वत	R–495(i)A/2003

1. जविप्रा के स्थाई अधिवक्ताओं को उक्तानुसार देय फीस राशि व खर्चो की राशि के अतिरिक्त अन्य कोई राशि देय नही होगी।
2. उपरोक्त दरों से फीस राशि के भुगतान की स्वीकृति निदेशक (विधि) द्वारा जारी की ज़ा कर भुगतान हेतु लेखा शाखा को भिजवाया जायेगा तथा प्रकरणों में खर्चों के बिलों की स्वीकृति संबंधित प्रभारी अधिकारी द्वारा जारी की जा कर लेखा शाखा को भुगतान हेतु निजवाई जायेगी।
3. प्रकरणों हेतु निर्धारित की गई उक्त फीस राशि की आधी राशि प्रकरण में यदि जविप्रा प्रतिवादी है तो जवाब प्रस्तुत होने के उपरान्त ओर यदि जविप्रा वादी है को वाद/रिट/अपील प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त जवाब/वाद/रिट/अपील की प्रति विधि प्रकोष्ठ को उपलब्ध करवाये जाने के उपरान्त व शेष आधी राशि का भुगतान प्रकरण के निर्णय होने पर निर्णय की प्रति विधि प्रकोष्ठ को उपलब्ध करवाये जाने पर देय होगी।
4. जविप्रा के स्थाई/स्टैण्डिग काउन्सिल को पुराने आवंटित प्रकरणों में, जिनमें जवाब पेश हो गया है आधी फीस राशि देय होगी अन्यथा उपरोक्तानुसार फीस राशि देय होगी। यदि किसी पैनल अधिवक्ता को जविप्रा की ओर से पैनल से हटा दिया जाता है तो उसे लम्बित प्रकरण जिसमें निर्णय पारित नही हुआ. है, आधी फीस राशि का भुगतान किया जायेंगा।
5. ऐसे प्रकरण जो अदम पैरवी, अदम हाजरी या वादी द्वारा विड्रॉ किये जाने पर या नोट प्रेस में खारिज किये गये है अथवा राजीनामें के आधार पर निस्तारित किये गये है या अर्थहीन (Infructuous) हो गये हैं तथा उनमें जविप्रा की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसे प्रकरणों में पैरवी हेतु उक्तानुसार नियत फीस की आधी फीस राशि ही देय होगी।
6. जविप्रा के जविप्रा के स्थाई/स्टैण्डिग काउन्सिल से अपेक्षा की जाती है कि ये न्यायिक प्रकरणों से संबंध में जविप्रा/प्रभारी अधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट / दस्तावेजात प्राप्त हो जाने के

उपरान्त अधिकतम सात दिवस की अवधि में जवाब तैयार कर संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करवायेंगे।

7. न्यायिक प्रकरण के संबंधित न्यायालय द्वारा निर्णित कर दिये जाने पर स्टैण्डिग काउन्सिल द्वारा निर्णय की प्रति अपनी राय सहित अधिकतम 10 दिवस में जविप्रा को उपलब्ध करवाई जायेगी अन्यथा प्रकरण में बकाया फीस राशि की आधी राशि का भुगतान ही किया जायेगा।
8. जविप्रा के स्टैण्डिग काउन्सिल अधिवक्तागण जविप्रा के विरुद्ध किसी भी प्रकरण में पैरवी हेतु किसी भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकेंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(नरेन्द्र कुमार आर्य)
निदेशक (विधि)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री नगरीय विकास एवं आवासन, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा जयपुर।
4. निजी सचिव उप महानिरीक्षक, जविप्रा, जयपुर।
5. मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन, जविप्रा जयपुर।
6. निदेशक (आयोजना/अभियांत्रिकी/वित्त), जविप्रा जयपुर।
7. अति. आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/एलपीसी) जविप्रा जयपुर।
8. निजी सचिव, निदेशक विधि, जविप्रा जयपुर।
9. समस्त प्रभारी अधिकारीगण.., जविप्रा जयपुर।
10. लेखाधिकारी भुगतान, जविप्रा जयपुर।
11. संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक विधि/सहायक विधि परामर्शी/कनिष्ठ विधि अधिकारीगण जविप्रा जयपुर।
12. संबंधित पैनल अधिवक्ता श्री ....
13. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (विधि)
जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

आदेश क्रमांक प.5(35)अधिवक्ता/जविप्रा/विधि/डी 7545 दिनांक 14.11.2025

–:आदेश:–

जयपुर विकास प्राधिकरण के विभिन्न जोन/प्रकोष्ठ में कार्यरत सहायक अधिवक्ताओं की नियुक्ति बाबत पूर्व में जारी समस्त आदेशो को अधिक्रमित/निरस्त करते हुए इनके स्थान पर निम्नानुसार पूर्णतः अस्थाई तौर पर निर्धारित मानदेय/पारिश्रमिक पर इस कार्यालय के पूर्व आदेश दिनांक 18.05.2022 व 31.05.2022 में अंकित शर्तो पर सहायक अधिवक्ता नियुक्त किया जाता है।

क्र.	अधिवक्ता का नाम	इनरोलमेंट नं.
1	श्री महिपत मीणा	R–1278/2001
2.	श्री अरूण शर्मा	R–2637/2003
3.	श्री प्रहलाद सिंह अधिकारी	R–1345/2000
4.	एड. निशा शर्मा	R–2410/2002
5.	एड. सुमन यादव	R–1561/2020
6.	एड. अर्चना झा	R–3990/2021
7.	एड. नम्रता शर्मा	R–166/2021
8.	श्री विष्णु खण्डेलवाल	R–1151/2020
9.	श्री लवेंद्र सिंह शेखावत	R–3824/2021
10.	श्री गौरव गुप्ता	R–1457/2011
11.	श्री कार्तिकेय शुक्ला	R–5164/2022
12.	श्री सुखराम बुनकर	R–50/1996
13.	श्री सुभाषचंद्र शर्मा	R–486/2017
14.	श्री सतेंद्र सिंह राठौड़	R–857/2003
15.	श्री शिवराज शर्मा	R–2045/2012
16.	श्री अजित सिंह चौहान	R–3468/2006
17.	श्री विकास शर्मा	R–2390/2015
18.	श्री ललित लकवाल	R–3929/2024
19.	श्री अशोक कुमार शर्मा	R–1874/2009
20.	श्री महेन्द्र कुमावत	R–3214/2006
21.	श्री भवानी सिंह शेखावत	R–2650/2015

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

22.	श्री नवीन शर्मा	R–1877 / 2015
23.	श्री मनोज कुमार शर्मा	R–768 / 2007

नोटः– माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ में विचाराधीन एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 6626 / 2021, 6629 / 2021, 6630 / 2021, 9107 / 2021 एवं 9112 / 2021 मे मा. न्यायालय द्वारा प्रदत्त स्थगन आदेश दिनांक 24.06.2021 एवं 27.08.2021 की अनुपालना में याचिकाकर्ताओ पर उक्त आदेश प्रभावी नही होगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(नरेन्द्र कुमार गर्ग)
निदेशक (विधि)
जविप्रा जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव आयुक्त जविप्रा जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा जयपुर।
3. निजी सचिव उप महानिरीक्षक, जविप्रा, जयपुर।
4. निदेशक (आयोजना / अभियात्रिकी / वित्त)जविप्रा जयपुर।
5. अति. आयुक्त (प्रशासन / पूर्व / पश्चिम / एलपीसी)जविप्रा जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक विधि,जविप्रा जयपुर।
7. मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन, जविप्रा जयपुर।
8. समस्त प्रभारी अधिकारी गण..........................जविप्रा जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आदेशो की पालना अविलम्ब सुनिश्चित करावें।
9. लेखाधिकारी भुगतान,जविप्रा जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक / उपनिदेशक / सहायक विधि परामर्शी एवं कनिष्ठ विधि अधिकारीगण जविप्रा जयपुर।
11. सहायक अधिवक्तागण..
12. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (विधि)
जविप्रा जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

आदेश क्रमांक प.5(35)अधिवक्ता/जविप्रा/विधि/डी 7542 दिनांक 14.11.2025

—:आदेश:—

माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली, मे जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से प्रतिरक्षण/पैरवी अधिवक्ता नियुक्ति करने हेतु पूर्व मे जारी समस्त नियुक्ति आदेशो को अधिक्रमित/निरस्त करते हुये जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के आदेश क्रमांक प. 5(35)जविप्रा/विधि/डी–3648 दिनांक 18.05.2022 के अनुसार निर्धारित फीस व खर्चे पर निम्नानुसार जविप्रा की ओर से प्रतिरक्षण एवं प्रभावी पैरवी हेतु पैनल अधिवक्ता नियुक्त किया जाता है।

क्र.	अधिवक्ता का नाम	इनरोलमेंट नं.
1	एड. राम कपिल	R–841/A/1994
2	एड. रोहित गौतम	R–4669/2019

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(नरेन्द्र कुमार अग्रि)
निदेशक (विधि)
जविप्रा जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. मा0 रजिस्ट्रार माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री नगरीय विकास एवं आवासन, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव आयुक्त जविप्रा, जयपुर।
4. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
5. निजी सचिव उप महानिरीक्षक जविप्रा, जयपुर।
6. मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन, जविप्रा, जयपुर।
7. निदेशक (आयोजना/अभियात्रिकी/वित्त) जविप्रा, जयपुर।
8. अति. आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/एलपीसी)जविप्रा, जयपुर।
9. निजी सचिव, निदेशक विधि,जविप्रा, जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक (विधि), जविप्रा, जयपुर।
11. उपनिदेशक/सहायक विधि परामर्शी, जविप्रा, जयपुर।

12. समस्त प्रभारी अधिकारीगण..........................जविप्रा जयपुर।
13. लेखाधिकारी भुगतान,जविप्रा जयपुर।
14. जविप्रा, पैनल अधिवक्ता श्री...
15. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (विधि)
जविप्रा जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{+91-141- } : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {7235}: फैक्स- +91-141-2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

आदेश क्रमांक प.5(35)अधिवक्ता/जविप्रा/विधि/डी 7546 दिनांक 14.11.2025

कार्यालय आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ में नियुक्त स्थाई अधिवक्ताओ की नियुक्ति हेतु पूर्व मे जारी समस्त आदेशो को अधिक्रमित/निरस्त करते हुये निम्न अधिवक्ताओ को निम्नाकित शर्तो पर जविप्रा की ओर से प्रतिरक्षण एवं प्रभावी पैरवी हेतु स्थाई अधिवक्ता नियुक्त किया जाता है:-

क्र.	अधिवक्ता का नाम	इनरोलमेंट नं.
1	श्री अमित कुड़ी	R-2837/2010
2	श्री दिनेश पाठक	R-649/2001
3	श्री शिवलाल मीना	R-143/1999
4	श्री श्याम शर्मा	R-155/1999
5	श्री ऋषभ खण्डेलवाल	R-160/2009
6	श्री दर्श पारीक	R-1317/2015

1. स्थायी अधिवक्ता के रूप में माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई हेतु प्रतिदिन लगने वाले जविप्रा के प्रत्येक प्रकरण की जानकारी रखेगें तथा प्रतिदिन प्रगति से निदेशक विधि को अवगत करवायेगें।
2. सुनवाई के समय जविप्रा के अधिवक्ता की उपस्थिति नहीं होने की स्थिति में माननीय न्यायालय के निर्देश से जविप्रा की ओर से उपस्थित होकर पैरवी करेगें।
3. ऐसे प्रकरण जिनमें जविप्रा के अधिवक्ता को अनुपस्थिति के कारण स्थायी अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर पैरवी की गई है, कि प्रगति सहित जानकारी उसी दिन निदेशक विधि को भिजवायेगें।
4. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जविप्रा या उसके अधिकारियों को विशेष निर्देश दिये जाने पर निदेशक विधि को अवगत करायेगें।
5. स्थाई अधिवक्ता के रूप में आवंटित प्रकरणों में पैरवी करेगें एवं विधिक राय हेतु प्रेषित प्रकरणों में विधिक राय प्रदान करेगें। जविप्रा द्वारा स्थाई अधिवक्ताओ को विधिक फीस देय नहीं होगी केवल खर्चे मान्य होगें।
6. स्थायी अधिवक्ता/स्टैण्डिंग कॉउन्सिल के रूप में जविप्रा के आदेश क्रमांक प. 5(35)जविप्रा/विधि/डी 3648 दिनांक 18.05.2022 के अनुसार 27,000/- रू. प्रतिमाह पारिश्रमिक देय होगा। उक्त देय पारिश्रमिक के अतिरिक्त प्रकरणों के लिये पृथक से काई फीस राशि देय नही होगी किन्तु प्रकरणों के लिये खर्चो का भुगतान नियमानुसार देय होगा। उक्त स्थायी अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति अग्रिम आदेशो तक रहेगी।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(नरेन्द्र कुमार आर्य)
निदेशक (विधि)
जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. उप पंजीयन न्यायिक, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा जयपुर।
4. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा जयपुर।
5. निजी सचिव उप महानिरीक्षक पुलिस, जविप्रा, जयपुर।
6. निदेशक (आयोजना/अभियांत्रिकी/वित्त), जविप्रा जयपुर।
7. अति. आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/एलपीसी) जविप्रा जयपुर।
8. निजी सचिव, निदेशक विधि, जविप्रा जयपुर।
9. मुख्य नियत्रंक प्रवर्तन, जविप्रा, जयपुर।
10. समस्त प्रभारी अधिकारीगण.., जविप्रा जयपुर।
11. लेखाधिकारी भुगतान, जविप्रा जयपुर।
12. संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक विधि/ सहायक विधि परामर्शी/कनिष्ठ विधि अधिकारीगण, जविप्रा जयपुर।
13. स्थाई अधिवक्ता श्री ....
14. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (विधि)
जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

आदेश क्रमांक प.5(35)अधिवक्ता/जविप्रा/विधि/डी 7547 दिनांक 14.11.2025

—:आदेश:—

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की ओर से प्रतिरक्षण/पैरवी हेतु पूर्व में जारी समस्त अधिवक्ता नियुक्ति आदेशो को अधिक्रमित/निरस्त करते हुये जविप्रा के आदेश क्रमांक प.5(35) जविप्रा/विधि/डी–3648 दिनांक 18.05.2022 में वर्णित फीस एवं निर्धारित शर्तो के अधीन निम्न अधिवक्ताओ को जविप्रा की ओर से प्रतिरक्षण/पैरवी हेतु पैनल अधिवक्ता नियुक्त किया जाता है।

क्र.	अधिवक्ता का नाम	इनरोलमेंट नं.
1.	श्री सत्यपाल पोसवाल	R–2537/2001
2.	श्री तखत सिंह राठौर	R–371/2002
3.	श्री जितेंद्र शर्मा	R–1988/2001
4.	श्री नाथू सिंह चौहान	R–2220/2000
5.	श्री अरूण शर्मा	R–156/1999
6.	श्री अनुराग कलावटिया	R–4536/2010
7.	एड. सुमन शर्मा	R–1704/2000
8.	श्री आर. डी. मीणा	R–1653/2003
9.	श्री नितिन सोनी	R–1994/2017
10.	श्री अभिनव गिरी	R–2987/19
11.	श्री मोविल जीनवाल	R–593/2014
12.	श्री अर्पित श्रीवास्तव	R–701/2006
13.	श्री डीएस. कुर्का	R–2790/2006
14.	श्री धर्मेंद्र पारीक	R–2325/2003
15.	श्री संजय शर्मा	R–843/1996
16.	श्री लेखपाल सिंह राठौड़	R–1735/2013
17.	श्री अलादीन खान	R–419/1997
18.	श्री बी. के. शर्मा	R–328/82
19.	श्री शिवराज सिंह राठौड़	R–2485/2010
20.	श्री अतुल सारस्वत	R–563/1996
21.	श्री उमेश कुमार शर्मा	R–444/1999
22.	श्री अक्षय दत्त शर्मा	R–2569/2019

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{+91-141- } : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {7235}: फैक्स- +91-141-2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

23.	श्री जयवर्धन सिंह शेखावत	R–1688 / 2017
24.	श्री संकल्प विजय	R–1722 A / 2020
25.	श्री टीपी. पान्डेय	R–13 / 2022
26.	श्री सियाराम शर्मा	R–155 / 2004
27.	एड. गरिमा गोठवाल	R–1734 / 2016
28.	श्री चंद्रशेखर	R–469 / 1993
29.	एड. निधि खण्डेलवाल	R–3505 / 2005
30.	श्री जितेद्र सिंह शेखावत	R–733 / 2015
31.	श्री प्रदीप चौधरी	R–3850 / 2019
32.	श्री गिरिराज प्रसाद प्रजापत	R–4051 / 2007
33.	श्री संदीप सिंह निर्वाण	R–3061 / 2008
34.	श्री कृष्णवतार शर्मा	R–325 / 1996
35.	श्री आनन्द सिंह राजावत	R–2282 / 2005
36.	एड. प्रीति शर्मा	R–357 / 2008
37.	श्री नीरज चांदराना	R–1151 / 1995
38.	श्री अरविन्द कुमार पारीक	R–649 / 1995
39.	श्री कमलेश कुमार साहु	R–2173 / 2002
40.	श्री रामबाबु शर्मा	R–1263 / 1999
41.	श्री धर्मवीर ठोलिया	R–140 / 1987
42.	श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा	R–2911 / 2005
43.	श्री विक्रम बेनीवाल	R–893 / 2015
44.	एड. शिप्रा गोयल	R–2368 / 2012
45.	श्री रामरतन गुर्जर	R–2776 / 2006
46.	श्री गजवीर सिंह राजावत	R–1874 / 2014
47.	श्री श्याम बाबू खण्डेलवाल	R–925 / 1998
48.	श्री परीक्षित सिंह	R–2541 / 2008
49.	श्री मनीष शर्मा	R–3247 / 2005
50.	श्री अजय शुक्ला	R–1632 / 2000
51.	श्री संजीव सोगरवाल	R–1490 / 2000
52.	श्री उमेश दुबे	R–223(i) / 2006
53.	श्री अभिषेक शर्मा	R–1961/2007
54.	श्री हिमांशु थोलिया	R–1776 / 2013

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{+91-141- } : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {7235}: फैक्स- +91-141-2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

1.जविप्रा के पैनल अधिवक्ताओं को उक्तानुसार देय फीय राशि व खर्चो की राशि के अतिरिक्त अन्य कोई राशि देय नही होगी।

2.उपरोक्त दरों से फीस राशि के भुगतान की स्वीकृति निदेशक (विधि) द्वारा जारी की जा कर भुगतान हेतु लेखा शाखा को भिजवाया जायेगा तथा प्रकरणों में खर्चों के बिलों की स्वीकृति संबंधित प्रभारी अधिकारी द्वारा जारी की जा कर लेखा शाखा को भुगतान हेतु निजवाई जायेगी।

3.प्रकरणों हेतु निर्धारित की गई उक्त फीस राशि की आधी राशि प्रकरण में यदि जविप्रा प्रतिवादी है तो जवाब प्रस्तुत होने के उपरान्त ओर यदि जविप्रा वादी है को वाद/रिट/अपील प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त जवाब/वाद/रिट/अपील की प्रति विधि प्रकोष्ठ को उपलब्ध करवाये जाने के उपरान्त व शेष आधी राशि का भुगतान प्रकरण के निर्णय होने पर निर्णय की प्रति विधि प्रकोष्ठ को उपलब्ध करवाये जाने पर देय होगी।

4.पैनल अधिवक्ताओं को पुराने आवंटित प्रकरणों में, जिनमें जवाब पेश हो गया है आधी फीस राशि देय होगी अन्यथा उपरोक्तानुसार फीस राशि देय होगी। यदि किसी पैनल अधिवक्ता को जविप्रा की ओर से पैनल से हटा दिया जाता है तो उसे लम्बित प्रकरण जिसमें निर्णय पारित नही हुआ. है, आधी फीस राशि का भुगतान किया जायेंगा।

5.ऐसे प्रकरण जो अदम पैरवी, अदम हाजरी या वादी द्वारा विड्रॉ किये जाने पर या नोट प्रेस में खारिज किये गये है अथवा राजीनामें के आधार पर निस्तारित किये गये है या अर्थहीन (Infructuous) हो गये हैं तथा उनमें जविप्रा की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसे प्रकरणों में पैरवी हेतु उक्तानुसार नियत फीस की आधी फीस राशि ही देय होगी।

6.जविप्रा के पैनल अधिवक्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि ये न्यायिक प्रकरणों से संबंध में जविप्रा/प्रभारी अधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट / दस्तावेजात प्राप्त हो जाने के उपरान्त अधिकतम सात दिवस की अवधि में जवाब तैयार कर संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करवायेंगे।

7.न्यायिक प्रकरण के संबंधित न्यायालय द्वारा निर्णित कर दिये जाने पर पैनल अधिवक्ता द्वारा निर्णय की प्रति अपनी राय सहित अधिकतम 10 दिवस में जविप्रा को उपलब्ध करवाई जायेगी अन्यथा प्रकरण में बकाया फीस राशि की आधी राशि का भुगतान ही किया जायेगा।

8.जविप्रा के पैनल अधिवक्तागण जविप्रा के विरूद्ध किसी भी प्रकरण में पैरवी हेतु किसी भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकेंगे।

9.उक्त आदेश दिनांक 01.05.2022 के उपरान्त आवंटित प्रकरणों के संबंध में लागू होगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(नरेन्द्र कुमार आर्य)
निदेशक (विधि)
जविप्रा, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप पंजीयन न्यायिक, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री नगरीय विकास एवं आवासन, स्वायत्त शासन, विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा जयपुर।
4. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा जयपुर।
5. निजी सचिव, उप महानिरीक्षक, जविप्रा, जयपुर।
6. मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन, जविप्रा जयपुर।
7. निदेशक (आयोजना/अभियांत्रिकी/वित्त), जविप्रा जयपुर।
8. अति. आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/एलपीसी) जविप्रा जयपुर।
9. निजी सचिव, निदेशक विधि, जविप्रा जयपुर।
10. समस्त प्रभारी अधिकारीगण.., जविप्रा जयपुर।
11. लेखाधिकारी भुगतान, जविप्रा जयपुर।
12. संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक विधि/सहायक विधि परामर्शी/कनिष्ठ विधि अधिकारीगण जविप्रा जयपुर।
13. संबंधित पैनल अधिवक्ता श्री ....
14. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (विधि)
जविप्रा, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{+91-141- } : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {7235}: फैक्स- +91-141-2574555

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

आदेश क्रमांक प.5(35)अधिवक्ता/जविप्रा/विधि/डी 7543 दिनांक 14.11.2025

—:आदेश:—

माननीय रेरा न्यायालय, जयपुर, मे जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से प्रतिरक्षण/पैरवी अधिवक्ता नियुक्ति करने हेतु पूर्व मे जारी समस्त नियुक्ति आदेशो को अधिक्रमित करते हुये जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के आदेश क्रमांक प.5(35)जविप्रा/विधि/डी–3648 दिनांक 18.05.2022 के अनुसार निर्धारित फीस व खर्चे पर निम्नानुसार जविप्रा की ओर से प्रतिरक्षण एवं प्रभावी पैरवी हेतु पैनल अधिवक्ता नियुक्त किया जाता है।

मा. न्यायालय (रेरा) – मा. रा. उच्च न्यायालय जयपुर में नियुक्ति हेतु अधिवक्ता

क्र.	अधिवक्ता का नाम	इनरोलमेंट नं.
1	श्री हिमांषु अग्निहोत्री	R–221/1995
2	एड. शालिनी यादव	R–2065/2016

मा. न्यायालय (रेरा) – टिब्युनल में नियुक्ति हेतु अधिवक्ता

क्र.	अधिवक्ता का नाम	इनरोलमेंट नं.
1	श्री ओमेन्द्र सिंह राघव	R–2805/2004
2	श्री देवांग चतुर्वेदी	R–2857/2016

1. जविप्रा के पैनल अधिवक्ताओं को उक्तानुसार देय फीस राशि व खर्चो की राशि के अतिरिक्त अन्य कोई राशि देय नही होगी।
2. उपरोक्त दरों से फीस राशि के भुगतान की स्वीकृति निदेशक (विधि) द्वारा जारी की जा कर भुगतान हेतु लेखा शाखा को भिजवाया जायेगा तथा प्रकरणों में खर्चो के बिलों की स्वीकृति संबंधित प्रभारी अधिकारी द्वारा जारी की जा कर लेखा शाखा को भुगतान हेतु भिजवाई जायेगी।
3. प्रकरणों हेतु निर्धारित की गई उक्त फीस राशि की आधी राशि प्रकरण में यदि जविप्रा प्रतिवादी है तो जवाब प्रस्तुत होने के उपरान्त ओर यदि जविप्रा वादी है को वाद/रिट/अपील प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त जवाब/वाद/रिट/अपील की प्रति विधि प्रकोष्ठ को उपलब्ध करवाये जाने के उपरान्त व शेष आधी राशि का भुगतान प्रकरण के निर्णय होने पर निर्णय की प्रति विधि प्रकोष्ठ को उपलब्ध करवाये जाने पर देय होगी।
4. पैनल अधिवक्ताओं को पुराने आवंटित प्रकरणों में, जिनमें जवाब पेश हो गया है आधी फीस राशि देय होगी अन्यथा उपरोक्तानुसार फीस राशि देय होगी। यदि किसी पैनल अधिवक्ता को जविप्रा की ओर से पैनल से हटा दिया जाता है तो उसे लम्बित प्रकरण जिसमें निर्णय पारित नहीं हुआ है, आधी फीस राशि का भुगतान किया जायेंगा।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{+91-141- } : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {7235}: फैक्स- +91-141-2574555

5. ऐसे प्रकरण जो अदम पैरवी, अदम हाजरी या वादी द्वारा विड्रॉ किये जाने पर या नोट प्रेस में खारिज किये गये है अथवा राजीनामें के आधार पर निस्तारित किये गये है या अर्थहीन (Infructuous) हो गये हैं तथा उनमें जविप्रा की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसे प्रकरणों में पैरवी हेतु उक्तानुसार नियत फीस की आधी फीस राशि ही देय होगी।
6. जविप्रा के पैनल अधिवक्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि ये न्यायिक प्रकरणों से संबंध में जविप्रा/प्रभारी अधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट / दस्तावेजात प्राप्त हो जाने के उपरान्त अधिकतम सात दिवस की अवधि में जवाब तैयार कर संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत करवायेंगे।
7. न्यायिक प्रकरण के संबंधित न्यायालय द्वारा निर्णित कर दिये जाने पर पैनल अधिवक्ता द्वारा निर्णय की प्रति अपनी राय सहित अधिकतम 10 दिवस में जविप्रा को उपलब्ध करवाई जायेगी अन्यथा प्रकरण में बकाया फीस राशि की आधी राशि का भुगतान ही किया जायेगा।
8. जविप्रा के पैनल अधिवक्तागण जविप्रा के विरूद्ध किसी भी प्रकरण में पैरवी हेतु किसी भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकेंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(नरेन्द्र कुमार आर्य)
निदेशक (विधि)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री नगरीय विकास एवं आवासन, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा जयपुर।
4. निजी सचिव उप महानिरीक्षक, जविप्रा, जयपुर।
5. मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन, जविप्रा जयपुर।
6. निदेशक (आयोजना/अभियांत्रिकी/वित्त), जविप्रा जयपुर।
7. अति. आयुक्त (प्रशासन/पूर्व/पश्चिम/एलपीसी) जविप्रा जयपुर।
8. निजी सचिव, निदेशक विधि, जविप्रा जयपुर।
9. समस्त प्रभारी अधिकारीगण.., जविप्रा जयपुर।
10. लेखाधिकारी भुगतान, जविप्रा जयपुर।
11. संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक विधि, जविप्रा जयपुर।
12. संबंधित पैनल अधिवक्ता श्री ....
13. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (विधि)
जविप्रा, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{+91-141- } : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {7235}: फैक्स- +91-141-2574555